

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./नियमन/बी-6/विविध/225/1383

भोपाल, दिनांक 01/05/2014

प्रति,

संयुक्त/उपसंचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/सागर/रीवा।

विषय:-कृषि उपज मण्डी समितियों में किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन के संबंध में जानकारी भेजने बावत।

संदर्भ:-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/225/410 दिनांक 26.2.2010 एवं पत्र क्रमांक/1375 दिनांक 28.7.2010


उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन किजिये। प्रदेश के किसानों को जैविक उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करने बावत प्लेटफार्म आरक्षित करने के साथ ही अन्य समुचित सुविधायें मंडी प्रांगण एवं उपमण्डी प्रांगण में उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

जैविक उत्पादों को विक्रय करने हेतु मण्डीवार प्रांगण में प्रदान की गई व्यवस्था/सुविधा के साथ ही वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में मंडी प्रांगण में विक्रय जैविक उत्पादों की मंडीवार एवं जिनसवार जानकारी की निम्न प्रारूप में आवश्यकता है।

क्र.	मण्डी का नाम	मण्डी प्रांगण में उपलब्ध सुविधा	मण्डी प्रांगण में जैविक उत्पाद विक्रय हेतु लाई गई कृषि उपज का नाम	मण्डी प्रांगण में जैविक उत्पाद विक्रय हेतु लाई गई कृषि उपज की मात्रा	प्राप्त विक्रय की गई कृषि उपज का मूल्य
1	2	3	4	5	6

अतः उपरोक्तानुसार कृपया वांछित जानकारी दिनांक 20.05.2014 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार)


संयुक्त संचालक (नियमन)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल